# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 94/2024

वादी :-

1. रवि राठौड़ पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों की पोल ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:-वादी - श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 - सरकारी पैरोकार।

## निर्णय

दिनांक:-20/01/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी उपरोक्त पते का मूल निवासी है तथा भारतीय नागरिक है। ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1339 पर वादी व सहखातेदारान के नाम दर्ज है। जिसमें वादी का 33483/1160800 व० हिस्सा निहित व दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को वाद के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का उपरोक्त 33483ध1160800 व० हिस्सा वादी के पिता श्री गजेसिंह फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के वादी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ। तब से वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज अपने हिस्से पर वादी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के पिता गजेसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय हल्का पटवारी द्वारा वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा वादी के सरकारी दस्तावेजों की जाँच किये बिना ही वादी को घर पर बोले जाने वाला नाम रविन्द्र सिंह के नाम से स्व. श्री गजेसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन भर दिया। जबकि वादी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेज कक्षा 10 की अंक तालिका, कक्षा 12 की अंक तालिका, आधारकार्ड, पैनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वादी की एस.बी.आई. की खाता पासबुक, ई-श्रम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, जनआधारकार्ड वगैरा में वादी का सही नाम रवि राठौड़ दर्ज है। जो दोनो नाम वादी के है तथा वादी को उक्त दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। वादी जब वादग्रस्त कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मेनेजर साहब के पास गया तो बैंक मैनेजर ने वादी के सरकारी दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी को देखकर वादी को ऋण देने से इन्कार कर दिया तथा वादी को कहा कि आप राजस्व रेकर्ड में दर्ज आपका नाम रविन्द्र सिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर रवि राठौड़ पुत्र गजे सिंह दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करवाने के पश्चात् ही आपको ऋण दिया जायेगा। जिस पर वादी ने दिनांक 24.04.2024 को प्रतिवादी के कार्यालय में राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रतिवादी ने वादी का प्रार्थना पत्र वादी को यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड

में रविन्द्रसिंह दर्ज है, जो नाम स्व. गजेसिंह जी के फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये दर्ज हुआ है, इसलिए प्रतिवादी उक्त अशुद्ध नाम को शुद्ध नही कर सकता है तथा कहा कि आपके अन्य सरकारी दस्तावेज में आपका नाम रवि राठौड़ दर्ज है, जिसकी दुरूस्ती माननीय न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी को वादकारण दिनांक 24.04.2024 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम रविन्द्रसिंह के स्थान पर वादी का सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम रवि राठौड़ दर्ज करने से इन्कार कर दिया, जिस पर वादकारण बमुकाम् ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम रवि राठौड़ पुत्र गजे सिह की घोषित की जाकर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश जारी फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खारीया मीठापुर में आई हुई है। जिसके खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 है। जिसमें वादी का 33483/1160800 वां हिस्सा है। वादी का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम जरिये विरासत नामा. सं. 3943 के द्वारा रवीन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह दर्ज हुआ है, जो आज दिन तक चला आ रहा है। पटवारी हल्का खारिया मीठापुर द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी रवि राठौड व रवीन्द्रसिह नाम से एक ही व्यक्ति होना बताया। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज/निजी दस्तावेज अंकतालिका, आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम रवि राठौड होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खारिया मीठापुर के खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर में वादी के हिस्से में दर्ज प्रविष्टि रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर सरकारी दस्तावेज अनुसार सही प्रविष्टि रवि राठौड पुत्र गजेसिंह किये जाने में भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि वादी ने दस्तावेजी के रूप में प्रदर्श 1 पैनकार्ड रवि राठौड पुत्र गजेसिंह, प्रदर्श 2 आधार कार्ड रवि राठौड पुत्र गजेसिंह, प्रदर्श 3 मूल निवास प्रमाण पत्र रवि राठौड पुत्र गजे सिंह, प्रदर्श 4 सामान्य जाति प्रमाण पत्र रवि राठौड पुत्र गजेसिंह, प्रदर्श 5 एस.बी.आई.बैंक डायरी रवि राठौड, प्रदर्श 6 ई-श्रम कार्ड रवि राठौड, प्रदर्श 7 ड्राईविंग लाईसेन्स रवि राठौड, प्रदर्श 8 पहचान पत्र रवि राठौड, प्रदर्श 9 जनआधार कार्ड रवि राठौड, प्रदर्श 10 भामाशाह कार्ड रवि राठौड आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम रवि राठौड पुत्र गजेसिंह दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व

रेकर्ड में वादी का नाम रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम रवि राठौड़ पुत्र गजेसिंह की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर रवि राठौड़ पुत्र गजेसिंह किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के खसरा नंबर खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर रवि राठौड़ पुत्र गजेसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/01/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

**वादी** :- **बनाम** **प्रतिवादीगण** :-
रवि राठौड सरकार

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
राजस्व वाद संख्या :- **94/2024**

**निर्णय** **दिनांक** :- 20/01/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा के खसरा नंबर खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में रविन्द्रसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर रवि राठौड पुत्र गजेसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवंउपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**तीज** – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| | | | खर्चा गवाहान | | |
| महनताना वकील | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा